11.8.25 पत्रावली पेशी में ली गई। बहस उभयपक्ष में मुताबिक राजीनामा वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वाद पत्र डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार कर दाखिल दफ्तर की जाती है। आदेश सुनाया गया।

[illegible]

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

R. Shar…
सरिता
I by mu
[illegible]
23.

-:निर्णयः-

दिनांक 11.08.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजिकृत डाक पता शीर्षक वाद में अंकितानुसार है। कि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम तहसील हनुमानगढ के चक नम्बर 3' थ्रु.टी.एस. जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 खाता संख्या 121/60 पत्थर नम्बर 50/208 मुरबा नम्बर 13 किला नम्बर 14/0.152, 16/1/0.101, 16/2/0.025, 17 ता 24सालम तादादी 2.302 हैक्टेयर नहरी मय गैर मुमकीन रास्ता सहित एवं चक नम्बर 11 जे.डी.डब्ल्यू. जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 खाता संख्या 41/57 पत्थर नम्बर 65/231 मुरबा नम्बर 5 किला नम्बर 1 ता 5सालम तादादी 1.265 हैक्टेयर एंव चक नम्बर 24 एल.एल.डब्ल्यू.बी. जमाबन्दी सम्वत 2077 से 2080 खाता संख्या 88/11 पत्थर नम्बर 65/230 मुरबा नम्बर 59 किला नम्बर 21/1/0.0843, 22/1/0.0843, 23/1/0.0843, 24/1/0.0843, 25/1/0.0843 तादादी 0.4215 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।

यह कि उक्त भूमि का वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 02 ने आज से काफी अर्सा पूर्व आपसी घराघरू बंटवारा कर लिया व इसी बंटवारानुसार वादी व प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। बंटवारा निम्न प्रकार से किया हुआ हैः-

हिस्सा वादी :- शिवम

तहसील हनुमानगढ के चक 11 जे.डी.डब्ल्यू. जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 खाता संख्या 41/57 पत्थर नम्बर 65/231 मुरबा नम्बर 5 किला नम्बर 1 ता 5सालम तादादी 1.265 हैक्टेयर एंव चक नम्बर 24 एल.एल.डब्ल्यू.बी. जमाबन्दी सम्वत 2077 से 2080 खाता संख्या 88/11 पत्थर नम्बर 65/230 मुरबा नम्बर 59 किला नम्बर 21/1/0.0843, 22/1/0.0843, 23/1/0.0843, 24/1/0.0843, 25/1/0.0843 तादादी 0.4215 हैक्टेयर नहरी कुल तादादी 1.6865 हैक्टेयर नहरी कृषि भुमि बंटवारा में प्राप्त हुई व बंटवारा के अनुसार ही वादी उक्त भुमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है।

हिस्सा प्रतिवादी सं. 01 राजेन्द्र सिंह

तहसील हनुमानगढ चक नम्बर 3 यु.टी.एस. जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 खाता संख्या 121/60 पत्थर नम्बर 50/208 मुरबा नम्बर 13 किला नम्बर 14/0.152, 16/1/0.101, 16/2/0.025, 17 ता 24 सालम तादादी 2.302 हैक्टेयर नहरी मय गैर मुमकीन रास्ता सहित भुमि पर बंट्वारा से काबिज काश्त है।

यह कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 02 ने उपरोक्त भुमि का आज से काफी अर्सा पूर्व घराघरू बंट्वारा कर लिया व इसी बंट्वारा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 अपने हिस्से में आयी हुई भुमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं प्रतिवादी संख्या 02 अपने पिता के नाम वाली कृषि भूमि में सें अपने विरास्तन हक को नहीं लेना चाहती है, वादी ने उपरोक्त प्रकार से घराघरू बंट्वारा में आयी हुई भुमि को अच्छे उवर्रक डालकर उपजाउ बनायी है व कराहा लगाकर समतल किया है। जब वादी ने बंट्वारे में आई भूमि घराघरू बंट्वारा अनुसार नाम लगवाने के लिए प्रतिवादी संख्या 01 को कहा तो पहले तो वह टाल मटोल करते रहे और आखिर दिनांक 28.05.2025 को इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। आदि आदि कथन कर वाद पत्र पेश किया गया।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री आशीष भीडासरा ने वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 2 ने दावा में राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। वाद पत्र कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकीयत कायम नहीं की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक सहमति के दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व राजीनामा के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व मुताबिक राजीनामा के घोषणा की जाती है किः- हिस्सा **वादीः- शिवमः-** चक 11 जे.डी.डब्ल्यू. जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 खाता संख्या 41/57 पत्थर नम्बर 65/231 मुरबा नम्बर 5 किला नम्बर 1 ता 5 सालम तादादी 1.265 हैक्टेयर एंव चक 24 एल. एल.डब्ल्यू. बी. जमाबन्दी सम्वत 2077 से 2080 खाता संख्या 88/11 पत्थर नम्बर 65/230 मुरबा नम्बर 59 किला नम्बर 21/1/0.0843, 22/1/0.0843, 23/1/0.0843, 24/1/0.0843, 25/1/0. 0843 तादादी 0.4215 हैक्टेयर नहरी कुल तादादी 1.6865 हैक्टेयर नहरी कृषि भुमि। उक्त दोनों खातों से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहे।

निर्णय आज दिनांक 11.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ